रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 491] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 1977, कार्तिक 27, 1899

No. 491] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 1977/KARTIKA 27, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 18th November 1977

S O. 777(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No S O. 782(E), dated the 14th December, 1973 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs. Arthur Butler and Company (Mozufferpore) Limited, Muzaffarpur (Bihar), had been taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period upto the 13th December, 1977;

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A read with sub-section (2) of section 18AA of the said Act, the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 13th December, 1978.

[No. F. 25/14/72-CUC]

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1977

का० आ० 777(अ) —भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश स० का० आ० 782(ई) तारीख 14 दिसम्बर, 1973 द्वारा (जिसे इसमें इस के पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) मैसर्स आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी (मुजफ्फरपुर) लिमिटेड, मुजफ्फरपुर (बिहार) के रूप में ज्ञात सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन 13 दिसम्बर, 1977 तक की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था ,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश और एक वर्ष के लिए प्रभावी बना रहना चाहिए ;

अत., अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18कक की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 13 दिसम्बर, 1978 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा ।

[स० 25/14 72-सी०यू०सी०]

S O. 778(E).—Whereas the Central Government has by its notified Order in the late Ministry of Industrial Development No. S O. 782(E) dated the 14th December, 1973, issued under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), authorised Shri Anwarul Huda, District Magistrate, Muzaffarpur, to take over the management of the industrial undertaking known as Messrs Arthur Butler and Company (Mozufferpore) Limited, Muzaffarpur (hereinafter in this Order referred to as the said industrial undertaking), for the period specified therein,

And whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No S.O. 565(E) dated the 20th September, 1974, Shri A. L. Kochhar was authorised to take over the management of the whole of the said industrial undertaking *vice* Shri Anwarul Huda;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18(E) of the said Act, the Central Government hereby specifies in the schedule annexed hereto, the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the said industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the said notified Order under section 18AA.

THE SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the said industrial undertaking
(1)	(2)
Section 166	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
ection 169	Do.

(1)	(2)
Section 210(1)	Provisions of this sub-section shall not apply to the said industrial undertaking. It shall however, file its statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies. The exemption will not effect the provisions of section 150(1) of the Companies Act, 1956
Section 212	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 214	Do
Section 217	Do
Section 224	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking subject to the condition that the auditor shall be appointed by the Central Government.
Section 225	Do.
Section 293	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking
Section 294(2)	Do

[No. F. 25/11/72-CUC]

G. V. RAMAKRISHNA, Addl. Secy.

का० आ० 778(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन जारी किए गए अपने अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 781(ई), तारीख 14 दिसम्बर, 1973 द्वारा श्री अनवरुल हुदा, जिला मैजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर को, मैसर्स आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी (मुजफ्फरपुर) लिमिटेड, मुजफ्फरपुर (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था;

और भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 565(ई) तारीख 20 सितम्बर, 1974 द्वारा श्री अनवरुल हुदा के स्थान पर श्री ए० एल० कोछड़ को, उक्त सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18ङ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में उन अपवादों, निर्बन्धनों और सीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रम को उसी रीति से लागू होता रहेगा जैसे कि वह उसे उक्त अधिसूचित आदेश जारी किए जाने के पूर्व लागू होता था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध	वे अपवाद, निर्बन्धन और सीमाएं जिनके अधीन स्तम्भ (1) में वर्णित उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू होंगे
(1)	(2)
धारा 166 . . .	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।
धारा 169 . . .	यथोक्त

1	2
धारा 210(1) . .	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नही होगे । किन्तु यह अपनी कानूनी विवरणियां और तुलनपत्र कम्पनियो के रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी । यह छूट कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159(1) के उपबन्धों को प्रभावित नही करेगी ।
धारा 212 . . .	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नही होगे ।
धारा 214 . . .	—यथोक्त—
धारा 217 . . .	—यथोक्त—
धारा 224 . . .	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नही होगे, बशर्ते कि लेखा-परीक्षक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए ।
धारा 225 . . .	—यथोक्त—
धारा 293 . . .	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नही होगे ।
धारा 294(2) . .	—यथोक्त—

[सं० फा० 25/14/72-सी०यू०सी०]

जी० वी० रामकृष्णा, अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977